



कोलकाता पत्तन सामुद्रिक सेवाएँ  
(प्रशिक्षण, ग्रेड निर्धारण और वरिष्ठता)

**विनियम, 2017**

**Kolkata Port Marine Services  
(Training, Grading and Seniority)**

**Regulations, 2017**

कोलकाता पत्तन सामुद्रिक सेवाएँ  
(प्रशिक्षण, ग्रेड निर्धारण और वरिष्ठता)

विनियम, 2017

**Kolkata Port Marine Services  
(Training, Grading and Seniority)**

**Regulations, 2017**

REVISED DRAFT

20.10.17

**Kolkata Port Marine Services (Training, Grading and Seniority) Regulations, 2017**

THE GAZETTE OF INDIA  
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

New Delhi

NOTIFICATION

New Delhi, the .....2017

G.S.R. ....

1. In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kolkata Port Marine Services (Training, Grading and Seniority) Regulations, 2017 made by the Board of Trustees for the Port of Kolkata and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[File No.....]

**SCHEDULE**

**KOLKATA PORT TRUST**

**Preliminary** - In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Section 28 read with Section 124 of the Major Port Trusts Act 1963, Act (38 of 1963) and in supersession of all previous Rules, Regulations, Bye-Laws framed in this respect except things done or omitted to be done under the said Rules, Regulations or Bye-Laws before such supersession, the Board of Trustees of the Port of Kolkata hereby makes the following Regulations, namely:- KOLKATA PORT MARINE SERVICES (Training, Grading and Seniority) Regulations, 2017.



संशोधित प्रारूप

20.10.17

कोलकाता पत्तन सामुद्रिक सेवाएँ (प्रशिक्षण, ग्रेड निर्धारण और वरिष्ठता) विनियम, 2017

भारत का राजपत्र

भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

नई दिल्ली

अधिसूचना

नई दिल्ली, ..... 2017

जी.एस.आर. ....

1. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा कोलकाता पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में उपवर्णित कोलकाता पत्तन सामुद्रिक सेवाएँ (प्रशिक्षण, ग्रेड निर्धारण और वरिष्ठता) विनियम, 2017 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

[फाइल सं. ....]

अनुसूची

कोलकाता पत्तन न्यास

प्रारंभिक - महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 के साथ पठित धारा 28 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बाबत बनाए गए सभी पूर्ववर्ती नियमों, विनियमों, उप-विधियों के अधिक्रमण में और ऐसे अधिक्रमण के पूर्व उक्त नियमों, विनियमों या उप-विधियों के अधीन किए गए या छोड़े गए सभी कार्य के सिवाय कोलकाता पत्तन का न्यासी मंडल एतद्वारा निम्नलिखित विनियम यथा-कोलकाता पत्तन सामुद्रिक सेवाएँ (प्रशिक्षण, ग्रेड निर्धारण और वरिष्ठता) विनियम, 2017 बनाता है।

## CHAPTER-I GENERAL

### 1. Short title, Commencement and Application:

(i) These regulations shall be called the Kolkata Port Marine Services (Training, Grading and Seniority) Regulations, 2017.

(ii) They shall apply to all officers of Pilot Service, River Survey Service, Dredger and Despatch Service and Berthing Service of Kolkata Port Trust including Trainees under these services.

### 2. Definitions: In these regulations, unless context otherwise requires-

i) "Act" shall mean the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963) and Indian Ports Act 1908 as amended from time to time.

ii) "Board" shall mean the Board of Trustees of the Port of Kolkata.

iii) "Chairman" shall mean the Chairman of the Board of Trustees of the Port of Kolkata.

iv) "The Marine Services" shall mean the Pilot Service, River Survey Service, Dredger of Despatch Service and Berthing Service of Kolkata Port Trust.

v) "Director, Marine Department" means the Head of the Marine Department appointed by the Central Government as such for the Port of Kolkata and port approaches (and includes any other officer acting under his authority) to exercise or perform the functions under the Indian Ports Act, 1908.

vi) "General Manager (Marine), Haldia Dock Complex means the officer for the time being holding the post of the General Manager (Marine), Haldia Dock Complex in the Port of Kolkata.

vii) "Harbour Master (Port)" shall mean the officer for the time being holding the post of the Harbour Master (Port) in the Port of Kolkata.



## अध्याय -I

### सामान्य

#### 1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना :

(i) इन विनियमों को कोलकाता पत्तन सामुद्रिक सेवाएँ (प्रशिक्षण, ग्रेड निर्धारण और वरिष्ठता) विनियम, 2017 कहा जाएगा ।

(ii) ये कोलकाता पत्तन न्यास की नौचालन पाइलट सेवा, नदी सर्वेक्षण सेवा, निकर्षण और प्रेषण सेवा एवं बर्थिंग सेवा के सभी अधिकारियों तथा इन सेवाओं के अधीन प्रशिक्षुओं पर लागू होंगे।

#### 2. परिभाषाएं : इन विनियमों में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

i) अधिनियम से समय-समय पर यथासंशोधित महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) और भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 अभिप्रेत होंगे ।

ii) "बोर्ड" से कोलकाता पत्तन का न्यासी मंडल अभिप्रेत होगा ।

iii) "अध्यक्ष" से कोलकाता पत्तन के न्यासी मंडल का अध्यक्ष अभिप्रेत होगा ।

iv) "सामुद्रिक सेवाओं" से कोलकाता पत्तन न्यास की नौचालन पाइलट सेवा, नदी सर्वेक्षण सेवा, निकर्षण और प्रेषण सेवा एवं बर्थिंग सेवा अभिप्रेत होगी।

v) "निदेशक, समुद्री विभाग" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के अधीन कोलकाता पत्तन और पत्तन पहुँच-मार्ग के लिए कृत्य करने या निष्पादित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त समुद्री विभाग का प्रमुख (इसमें उसके प्राधिकार के अधीन कार्य करनेवाला कोई अन्य अधिकारी शामिल है) अभिप्रेत है।

vi) "महाप्रबंधक (मरीन), हल्दिया गोदी परिसर" से कोलकाता पत्तन के हल्दिया गोदी परिसर में तत्समय महाप्रबंधक (मरीन) का पद धारित करनेवाला अधिकारी अभिप्रेत है।

vii) "हार्बर मास्टर (पत्तन)" से कोलकाता पत्तन में तत्समय हार्बर मास्टर (पत्तन) का पद धारित करनेवाला अधिकारी अभिप्रेत होगा ।

viii) "Harbour Master (River)" shall mean the officer for the time being holding the post of the Harbour Master (River) in the Port of Kolkata.

ix) "Chief Hydrographer" means the officer for the time being holding the post of the Chief Hydrographer" in the Port of Kolkata.

x) "Superintendent, Dredging and Despatch Service" means the officer for the time being holding the post of the Superintendent, Dredging and Despatch Service in the Port of Kolkata.

xi) "Manager, Marine Operations, Haldia" means the officer for the time being holding the post of the Manager, Marine Operations, Haldia Dock Complex in the Port of Kolkata.

xii) "Dy. Dock Master" means the officer for the time being holding the senior most post of "Dy. Dock Master" either at Kolkata Dock System or at Haldia Dock Complex in the Port of Kolkata.

xiii) "Harbour Section" shall mean the Section under the control of the Harbour Master (Port).

xiv) "River Section" shall mean the Section under the control of the Harbour Master (River).

xv) "Chief Medical Officer" shall mean the officer for the time being holding the post of Chief Medical Officer in the Port of Kolkata.

xvi) Appointing authority "shall have the same meaning as prescribed in the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations.

### **3. Authority to hold examinations for grant of Pilot's License and periodicity:**

i) The examinations for all classes of Pilot's Licenses will be conducted by a Board of Examiners constituted by the Director, Marine Department as the President of such Board.

ii) The examination will be held within one month, other than in exceptional circumstances, after an officer has completed the requisite training period and expressed his willingness in writing to appear for the same.



viii) “हार्बर मास्टर (नदी)” से कोलकाता पत्तन में तत्समय हार्बर मास्टर (नदी) का पद धारित करनेवाला अधिकारी अभिप्रेत होगा ।

ix) “मुख्य जलसर्वेक्षक” से कोलकाता पत्तन में तत्समय मुख्य जलसर्वेक्षक का पद धारित करनेवाला अधिकारी अभिप्रेत है।

x) “अधीक्षक, निकर्षण और प्रेषण सेवा” से कोलकाता पत्तन में तत्समय अधीक्षक, निकर्षण और प्रेषण सेवा का पद धारित करनेवाला अधिकारी अभिप्रेत है।

xi) “प्रबंधक, मरीन प्रचालन , हल्दिया” से कोलकाता पत्तन में तत्समय प्रबंधक, मरीन प्रचालन , हल्दिया गोदी परिसर का पद धारित करनेवाला अधिकारी अभिप्रेत है।

xii) उप डॉक मास्टर से या तो कोलकाता पत्तन की कोलकाता गोदी प्रणाली या हल्दिया गोदी परिसर में तत्समय उप डॉक मास्टर का वरिष्ठतम पद धारित करनेवाला अधिकारी अभिप्रेत है ।

xiii) बंदरगाह अनुभाग से हार्बर मास्टर (पत्तन) के नियंत्रणाधीन अनुभाग अभिप्रेत होगा ।

xiv) नदी अनुभाग से हार्बर मास्टर (नदी) के नियंत्रणाधीन अनुभाग अभिप्रेत होगा ।

xv) मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कोलकाता पत्तन में तत्समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद धारित करनेवाला अधिकारी अभिप्रेत होगा।

xvi) नियुक्ति प्राधिकारी” से वही अभिप्रेत होगा जैसा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम में विहित है ।

### 3. नौचालन पाइलट का लाइसेंस प्रदान करने के लिए परीक्षा संचालित करने हेतु प्राधिकारी और आवधिकता

i) नौचालन पाइलट के लाइसेंस की सभी श्रेणियों के लिए परीक्षाएँ परीक्षकों के एक बोर्ड द्वारा संचालित की जाएंगी जिसका गठन ऐसे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निदेशक, मरीन विभाग द्वारा किया जाएगा ।

ii) असाधारण परिस्थितियों से भिन्न किसी अधिकारी द्वारा अपेक्षित प्रशिक्षण अवधि पूरी किए जाने और परीक्षा में शामिल होने की इच्छा लिखित रूप में व्यक्त किए जाने के एक माह के भीतर परीक्षा आयोजित की जाएगी।



#### 4. Training scope and syllabus :

- i) The period and nature of training of all entrants shall be determined by the Director, Marine Department on the basis of their entry qualification, aptitude and progress of training.
- ii) During the training period, a trainee may be posted on KoPT owned / hired vessels, Oil jetties at Haldia and BajBaj, on anchored vessels, Sagar Pilot Station, VTMS stations as well as sent for on job training with regular pilots in the river, in harbour side and within the impounded dock systems at KDS/HDC as relevant.
- iii) A candidate shall satisfy the Board of Examiners on his knowledge of the River Hooghly including the sea area in the port approaches, knowledge of ship-manoeuving in the impounded dock systems of KDS and HDC (as applicable), Moorings, Rules of the Road and the handling of vessels of applicable type, tonnage and draft and other miscellaneous responsibilities and duties appertaining to the grade for which the examination is being held.
- iv) Extant rules, syllabus and system of the Directorate General of Shipping shall prevail upon all trainees requiring to pass any of the prescribed examinations (*including medical fitness and eyesight*) to be conducted by the Directorate General of Shipping.

#### 5. Inter-se-seniority of the trainees/officers:

The inter-se seniority of Trainees/officers in a particular Section will be determined on the following basis:

- a) In a batch, their inter-se seniority in a particular Section will be in accordance with the order of merit as determined by the Selection Committee of Kolkata Port Trust at the time of selection;
- b) Failing such assessment of merit by the Selection Committee at the time of selection of a batch of Trainees in a particular Section, the inter-se seniority will be determined on the basis of the dates of their joining.
- c) Where the joining dates are same, the inter-se seniority of the officers concerned in a particular Section will be determined by their recorded age.

#### 4. प्रशिक्षण क्षेत्र और पाठ्यक्रम:

- i) सभी प्रवेशकों के प्रशिक्षण की अवधि और प्रकृति का अवधारण प्रवेश के समय उनकी अर्हता, कौशल और प्रशिक्षण की प्रगति के आधार पर निदेशक, समुद्री विभाग द्वारा किया जाएगा।
- ii) प्रशिक्षण अवधि के दौरान, किसी प्रशिक्षु की तैनाती केओपीटी के स्वामित्ववाले / किराए के पोत, हल्दिया और बजबज में तेल जेटी, लंगर डाले हुए पोत, सागर नौचालन पाइलट स्टेशन, वीटीएमएस स्टेशन पर की जा सकती हैं, साथ ही उन्हें कार्य के दौरान प्रशिक्षण पर यथासंगत, नदी में, बंदरगाह की तरफ और केडीएस / एचडीसी से जुड़ी हुई गोदी प्रणालियों के भीतर नियमित नौचालक पाइलटों के साथ भेजा जा सकता है।
- iii) कोई उम्मीदवार पत्तन पहुँच-मार्ग में समुद्री क्षेत्र सहित हुगली नदी से संबंधित अपने ज्ञान, केडीएस और एचडीसी (यथा लागू) से जुड़ी गोदी प्रणालियों में पोत संचालन कौशल, लंगर-स्थल, मार्ग-नियमों और प्रयोज्य प्रकार के पोतों के संचालन, टनभार एवं डुबाव तथा जिस ग्रेड के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है उससे संबंधित अन्य विविध दायित्वों एवं कर्तव्यों से संबंधित अपने ज्ञान के बारे परीक्षकों के बोर्ड को तृप्त करेगा।
- iv) पोत परिवहन महानिदेशालय द्वारा संचालित की जानेवाली कोई भी विहित परीक्षा उत्तीर्ण करने की आकांक्षा रखनेवाले सभी प्रशिक्षुओं पर पोत परिवहन महानिदेशालय के सभी प्रचलित नियम, पाठ्यक्रम और प्रणाली अभिभावी होंगी

#### 5. प्रशिक्षुओं / अधिकारियों की अंतर-वरिष्ठता :

किसी विशेष अनुभाग में प्रशिक्षुओं / अधिकारियों की अंतर-वरिष्ठता निम्नलिखित आधार पर अवधारित की जाएगी :

क) किसी बैच में, किसी विशेष अनुभाग में उनकी अंतर-वरिष्ठता, चयन के समय कोलकाता पत्तन न्यास की चयन समिति द्वारा अवधारित योग्यता के अनुसार होगी ;

ख) किसी विशेष अनुभाग में प्रशिक्षुओं के बैच के चयन के समय चयन समिति द्वारा योग्यता के इस तरह के आकलन में विफल रहने की स्थिति में अंतर-वरिष्ठता का निर्धारण उनके कार्यग्रहण की तारीख के आधार पर किया जाएगा;

ग) कार्यग्रहण की तारीख समान रहने पर किसी विशेष अनुभाग में संबंधित अधिकारियों की अंतर-वरिष्ठता उनकी अभिलिखित आयु से अवधारित की जाएगी;



d) A Trainee on confirmation as a regular officer in a particular Section will be deemed to be senior to those who are confirmed later in the same Section. Provided that if two or more Trainees are confirmed on the same date, their inter-se seniority will remain unaffected.

e) When an officer, even after confirmation in a regular pay scale in a particular Section, passes the next prescribed examination in the training schedule, he will become senior to those who have not passed the said examination by that time. Thus a Pilot Grade III who passes the Grade II examination earlier than a Pilot senior to him will be deemed to have superseded him and a Pilot Grade II who passes the Grade I examination earlier than a Pilot senior to him will become senior to all those who have not passed the above examination by that time. Similarly, a Probationary Hydrographer /Sr. Hydrographer who passes the Final departmental examination earlier than an officer senior to him will automatically be deemed to have become senior to those officers who have not passed the said examination by that time

6. **Failure to pass examination :** Should a Trainee/Probationer fails to qualify in any of the prescribed examinations in three attempts, his services are liable to be terminated.

घ) किसी विशेष अनुभाग में नियमित अधिकारी के रूप में किसी प्रशिक्षु की संपुष्टि किए जाने पर वह उसी अनुभाग में बाद में संपुष्टि किए जानेवाले अधिकारी से वरिष्ठ समझा जाएगा । परंतु यह कि एक ही तारीख को दो या उससे अधिक प्रशिक्षुओं की संपुष्टि किए जाने पर उनकी अंतर-वरिष्ठता अप्रभावित रहेगी।

ड) जब कोई अधिकारी, किसी विशेष अनुभाग में नियमित वेतनमान में संपुष्टि के बाद भी, प्रशिक्षण कार्यक्रम में अगली विहित परीक्षा उत्तीर्ण करता है, तब वह उस समय तक उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करनेवाले अधिकारियों से वरिष्ठ हो जाएगा । इस प्रकार अपने वरिष्ठ नौचालक पाइलट से पहले ग्रेड-II की परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले किसी नौचालक पाइलट ग्रेड- III को अपने वरिष्ठ को अधिक्रमित किया गया समझा जाएगा और अपने वरिष्ठ नौचालक पाइलट से पहले ग्रेड-I की परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाला कोई नौचालक पाइलट ग्रेड- II उन सभी से वरिष्ठ हो जाएगा जिन्होंने उस समय तक उपर्युक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इसी प्रकार, अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी से पहले अंतिम विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले किसी परिवीक्षाधीन जलसर्वेक्षक/वरिष्ठ जलसर्वेक्षक को स्वतः उन अधिकारियों से वरिष्ठ समझा जाएगा जिन्होंने उस समय तक उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।

6. परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफलता : यदि कोई प्रशिक्षु / परिवीक्षाधीन अधिकारी तीन प्रयास में विहित परीक्षाओं में से किसी में भी अर्हता प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त किए जाने के दायित्व के अधीन हैं।



## CHAPTER-II PILOT SERVICE

**1.0 ENTRY QUALIFICATIONS:** Qualification required for entry into the Pilot Service shall be any one of the following:

- i) Certificate of Competency as Master (FG)/Dredge Master Grade-I or equivalent; or
- ii) Certificate or Competency as First Mate (FG)/Dredge Master Grade-II; or
- iii) Certificate or Competency as Second Mate (FG)/Dredge Mate Grade-I; or
- iv) B. Sc. Nautical Science with minimum 60% marks in aggregate.

**2.0 GRADE/DESIGNATION :**

- (i) An entrant to the Pilot Service shall be known as a Trainee Pilot.
- (ii) For the purpose of pilotage, there shall be three grades of Pilots e.g. Grade I, Grade II and Grade III. A Trainee Pilot on posting as a regular Pilot shall be eligible for higher grading in due course subject to fulfilment of requisite conditions as laid down in these Regulations.
- iii) The training programme for Kolkata pilots shall be divided into two stages viz. (a) Part "A" i.e. for River Section from Sandheads to Garden Reach and vice versa. (b) Part "B" i.e. for Harbour Section from Budge Budge Boundary Pillars to upwards and vice versa.
- iv) The training programme for Haldia pilots shall be only for the river section from Sandheads to Haldia.

**3.0 TRAINING SCHEDULE FOR KOLKATA PILOTS UNDER HARBOUR MASTER (RIVER)**

## अध्याय-II

### नौचालन पाइलट सेवा

1.0 प्रवेश हेतु अर्हताएं : नौचालन पाइलट सेवा में प्रवेश के लिए अपेक्षित अर्हता निम्नलिखित में से कोई एक होगी:

- i) मास्टर(एफजी) / ड्रेज मास्टर ग्रेड-I या समतुल्य के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र;  
या
- ii) प्रथम मेट(एफजी) / ड्रेज मास्टर ग्रेड-II के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र ;  
या
- iii) द्वितीय मेट(एफजी) / ड्रेज मेट ग्रेड -I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र ;  
या
- iv) न्यूनतम कुल 60% अंक सहित समुद्री विज्ञान में विज्ञान स्नातक ।

#### 2.0 ग्रेड / पदनाम :

(i) नौचालन पाइलट सेवा में प्रवेशी प्रशिक्षु नौचालक पाइलट के रूप में जाना जाएगा।

ii) पाइलट-कार्य के प्रयोजनार्थ, तीन प्रकार के नौचालक पाइलट होंगे यथा-ग्रेड-I, ग्रेड-II और ग्रेड- III. नियमित नौचालक पाइलट के रूप में पदस्थापित किया जानेवाला कोई प्रशिक्षु पायलट, इन नियमों में यथा अधिकथित अपेक्षित शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन सम्यक् अनुक्रम में उच्चतर ग्रेड निर्धारण का पात्र होगा ।

iii) कोलकाता नौचालक पाइलटों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को दो चरणों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात (क) सैंडहेड से गार्डन रीच एवं विपर्ययेन तक नदी अनुभाग के लिए भाग "ए" (ख) बजबज बाउंड्री पिलर से ऊपर एवं विपर्ययेन तक हार्बर अनुभाग के लिए भाग "बी"।

iv) हल्दिया नौचालक पाइलटों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल सैंडहेड से हल्दिया तक नदी अनुभाग के लिए होगा।

#### 3.0 हार्बर मास्टर (नदी) के अधीन कोलकाता नौचालक पाइलटों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम



### **3.1 FOR TRAINEES JOINING WITH MASTER (FG)/ DREDGE MASTER GRADE-I AND EQUIVALENT CERTIFICATE:**

- i) On completion of eleven (11) month's training, he shall appear for preliminary oral examination conducted by a committee comprising Harbour Master (River) and Manager Marine Operations, Haldia. Thereafter, on passing the above examination he will be eligible to appear for Part-A of Grade-III Pilot examination provided he has attended to at least 100 jobs during his training period.
- ii) On passing the Part-A Grade-III examination, he shall take independent charge of ships on draft and lengths prescribed for Grade III pilots for a period of three (3) months during which his work will be under examination. After attending at least 30 independent jobs, he shall commence his training under the Harbour Master (Port).

### **3.2 FOR TRAINEES JOINING WITH FIRST MATE (FG) / DREDGE MASTER GRADE-II CERTIFICATE:**

- i) On completion of fifteen (15) month's training, he shall appear for preliminary oral examination conducted by a committee comprising Harbour Master (River) and Manager Marine Operations, Haldia.
- ii) He shall appear for Part-A Grade-III Pilot examination three (3) months after passing the preliminary oral examination i.e. after a total training period of eighteen (18) months and after attending to at least 100 jobs during his training period.
- iii) On passing the Part-A Grade-III examination, he shall take independent charge of ships on draft and lengths prescribed for Grade III for a period of three (3) months during which his work will be under examination. After attending at least 30 independent jobs, he shall commence his training under the Harbour Master (Port).

### **3.3 FOR TRAINEES JOINING WITH SECOND MATE (FG) / DREDGE MATE GRADE-I CERTIFICATE:**

- i) He shall appear for Function-I & Function -III of First Mate (FG) Examination conducted by Director General of Shipping on completion of twelve (12) month's training;

3.1 मास्टर (एफजी) / ड्रेज मास्टर ग्रेड-I और समतुल्य प्रमाणपत्रधारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले प्रशिक्षुओं हेतु :

i) ग्यारह (11) महीने का प्रशिक्षण पूरा होने पर, वह हार्बर मास्टर (नदी) और प्रबंधक, समुद्री प्रचालन, हल्दिया को शामिल कर बनाई गई एक समिति द्वारा संचालित प्रारंभिक मौखिक परीक्षा में बैठेगा। उसके बाद, उपर्युक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वह ग्रेड-III नौचालन पाइलट परीक्षा के भाग-ए में बैठने का पात्र होगा बशर्ते वह अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान कम से कम 100 कार्य पूरा करता है।

ii) भाग-ए ग्रेड-III परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वह तीन (3) महीने की अवधि के लिए ग्रेड -III नौचालक पाइलटों के लिए विहित ड्राफ्ट और लम्बाई पर पोतों का स्वतंत्र प्रभार लेगा, जिसके दौरान उसका काम परीक्षण के अधीन होगा। स्वतंत्र रूप से कम से कम 30 कार्य पूर्ण करने के बाद, वह हार्बर मास्टर (पत्तन) के अधीन अपना प्रशिक्षण शुरू करेगा।

3.2 प्रथम मेट (एफ जी) / ड्रेज मास्टर ग्रेड-II प्रमाणपत्रधारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले प्रशिक्षुओं हेतु :

i) पंद्रह (15) महीने का प्रशिक्षण पूरा होने पर, वह हार्बर मास्टर (नदी) और प्रबंधक, समुद्री प्रचालन, हल्दिया को शामिल कर बनाई गई एक समिति द्वारा संचालित प्रारंभिक मौखिक परीक्षा में बैठेगा।

ii) प्रारंभिक मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यानी कुल अठारह(18) महीने के प्रशिक्षण के बाद और अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान कम से कम 100 कार्य पूर्ण करने के बाद वह भाग-ए, ग्रेड-III परीक्षा में बैठेगा।

iii) भाग-ए ग्रेड-III परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वह तीन (3) महीने की अवधि के लिए ग्रेड-III के लिए निर्धारित ड्राफ्ट और लम्बाई पर पोतों का स्वतंत्र प्रभार लेगा, जिसके दौरान उसका काम परीक्षण के अधीन होगा। स्वतंत्र रूप से कम से कम 30 कार्य पूर्ण करने के बाद, वह हार्बर मास्टर (पत्तन) के अधीन अपना प्रशिक्षण शुरू करेगा।

3.3 द्वितीय मेट(एफजी) / ड्रेज मेट ग्रेड-I प्रमाणपत्रधारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले प्रशिक्षुओं हेतु :

i) बारह (12) महीने का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वह पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा संचालित की जानेवाली प्रथम मेट (एफजी ) परीक्षा के फंक्शन-I और फंक्शन-III में बैठेगा।



- ii) On completion of further twelve (12) month's training after passing Function-I & Function -III of First Mate Examination he shall appear for 1<sup>st</sup> preliminary oral examination conducted by a committee comprising Harbour Master (River) and Manager Marine Operations, Haldia.
- iii) He shall appear for 2<sup>nd</sup> preliminary oral examination conducted by a committee comprising Harbour Master (River) and Manager Marine Operations, Haldia on completion of further nine (9) month's training.
- iv) He will be eligible to appear for Part-A of Grade-III Pilot examination after passing the 2<sup>nd</sup> preliminary oral examination i.e. after a total training period of thirty three (33) months and after attending to at least 150 jobs during his training period.
- v) On passing the Part-A Grade-III examination, he shall take independent charge of ships on draft and lengths prescribed for Grade III for a period of three (3) months during which his work will be under examination. After attending at least 30 independent jobs, he shall commence his training under the Harbour Master (Port).

### **3.4 FOR TRAINEES JOINING WITH B. SC. NAUTICAL SCIENCE CERTIFICATE:**

- i) He shall appear for written/oral examinations of Function-I & Function -III of Second Mate (FG) Examination as may be prescribed and conducted by Director General of Shipping on completion of twelve (12) month's training.
- ii) After passing Function-I & Function -III of Second Mate (FG) Examination conducted by Director General of Shipping, he shall be placed on the same footing as is applicable for trainees joining with Second Mate (FG)/Dredge Mate Grade-I certificate.

### **4.0 TRAINING SCHEDULE OF KOLKATA PILOTS UNDER HARBOUR MASTER (PORT)**

- i) After transfer to Harbour Section, a trainee pilot having passed Part-A, Grade-III examination shall undergo training for a period of four (4) months during which he must have attended at least 80 jobs.
- ii) He shall satisfy the Harbour Master (Port) in a preliminary oral examination on his progress of training and on satisfying the Harbour Master (Port), he shall appear for the examination for Grade III - Part B Pilot License.

ii) प्रथम मेट परीक्षा का फंक्शन-I एवं फंक्शन-III उत्तीर्ण करने के बाद और बारह (12) महीने का प्रशिक्षण पूरा होने पर वह हार्बर मास्टर (नदी) तथा प्रबंधक, समुद्री प्रचालन, हल्दिया को शामिल कर बनाई गई समिति द्वारा संचालित प्रथम प्रारम्भिक मौखिक परीक्षा में बैठेगा।

iii) नौ (9) माह का अतिरिक्त प्रशिक्षण पूरा होने पर वह हार्बर मास्टर (नदी) तथा प्रबंधक, समुद्री प्रचालन, हल्दिया को शामिल कर बनाई गई समिति द्वारा संचालित द्वितीय प्रारम्भिक मौखिक परीक्षा में बैठेगा।

iv) द्वितीय प्रारम्भिक मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यानी कुल तैंतीस (33) माह की प्रशिक्षण अवधि पूरी होने के बाद और अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान कम से कम 150 काम पूरा करने के बाद वह ग्रेड-III नौचालन पाइलट परीक्षा के भाग-ए में बैठने का पात्र होगा।

v) भाग-ए, ग्रेड-III परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वह तीन (3) महीने की अवधि के लिए ग्रेड -III के लिए निर्धारित ड्राफ्ट और लम्बाई पर पोतों का स्वतंत्र प्रभार लेगा, जिसके दौरान उसका काम परीक्षण के अधीन होगा। स्वतंत्र रूप से कम से कम 30 कार्य पूर्ण करने के बाद, वह हार्बर मास्टर (पत्तन) के अधीन अपना प्रशिक्षण शुरू करेगा।

#### 3.4 समुद्री विज्ञान में विज्ञान स्नातक प्रमाणपत्रधारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले प्रशिक्षुओं हेतु :

i) बारह (12) महीने का प्रशिक्षण पूरा होने पर वह पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा संचालित यथाविहित द्वितीय मेट (एफजी) परीक्षा के फंक्शन-I और फंक्शन-III की लिखित/मौखिक परीक्षाओं में बैठेगा।

ii) पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा संचालित द्वितीय मेट(एफजी)परीक्षा का फंक्शन-1 और फंक्शन-III उत्तीर्ण करने के बाद, उसे उसी स्तर पर रखा जाएगा जो द्वितीय मेट (एफजी) / ड्रेज मेट ग्रेड-I प्रमाणपत्र धारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले प्रशिक्षुओं के लिए लागू है।

#### 4.0 हार्बर मास्टर (पत्तन ) के अधीन कोलकाता नौचालन पाइलटों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

i) हार्बर अनुभाग में स्थानांतरण के बाद, भाग-ए, ग्रेड-III परीक्षा उत्तीर्ण किसी प्रशिक्षु नौचालक पाइलट को चार (4) महीनों की अवधि का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके दौरान उसे कम से कम 80 कार्य पूर्ण करना होगा।

ii) वह प्रारंभिक मौखिक परीक्षा में प्रशिक्षण में अपनी प्रगति के संबंध में हार्बर मास्टर (पत्तन) को तुष्ट करेगा और हार्बर मास्टर (पत्तन) को तुष्ट करने पर वह ग्रेड III, भाग-बी नौचालन पाइलट लाइसेंस के लिए परीक्षा में बैठेगा।



iii) On passing the examination for Grade III - Part B Pilot License, he will be issued with a Pilot's license and adjusted in the regular pay scale for pilots. Thereafter, he shall spend one more month for further practical training in the Harbour section during which, his actual performance will be under observation and he will be eligible for posting on a regular Pilot. Confirmation to the post, however, will depend upon the report of his work.

## **5.0 TRAINING SCHEDULE OF HALDIA PILOTS UNDER HARBOUR MASTER (RIVER).**

### **5.1 FOR TRAINEES JOINING WITH MASTER (FG)/ DREDGE MASTER GRADE-I AND EQUIVALENT CERTIFICATE:**

i) On completion of nine (9) month's training, he shall appear for the preliminary oral examination conducted by a committee comprising Harbour Master (River) and Manager Marine Operations, Haldia. Thereafter, on passing the preliminary oral examination, he will be eligible to appear for Part-A Grade-III Pilot examination provided he has attended to at least 100 jobs during his training period.

ii) On passing the Grade III - Part A examination, he will be issued with a Haldia Pilot's license and adjusted in the regular pay scale of pilots. Confirmation to the post, however, will depend upon the report of his work.

### **5.2 FOR TRAINEES JOINING WITH FIRST MATE (FG) / DREDGE MASTER GRADE-II CERTIFICATE:**

i) On completion of twelve (12) month's training, he shall appear for the preliminary oral examination conducted by a committee comprising Harbour Master (River) and Manager Marine Operations, Haldia. Thereafter, on passing the preliminary oral examination, he will be eligible to appear for Part-A Grade-III Pilot examination provided he has attended to at least 100 jobs during his training period.

ii) On passing the Grade III - Part A examination, he will be issued with a Haldia Pilot's license and adjusted in the regular pay scale of pilots. Confirmation to the post, however, will depend upon the report of his work.

iii) ग्रेड III, भाग- बी नौचालन पाइलट लाइसेंस की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उसे नौचालक पाइलट का लाइसेंस जारी किया जाएगा और नौचालक पाइलटों के नियमित वेतनमान में समायोजित किया जाएगा। उसके बाद, वह हार्बर अनुभाग में अतिरिक्त एक महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, जिसके दौरान उसका वास्तविक कार्यनिष्पादन निरीक्षणाधीन होगा और वह नियमित नौचालक पाइलट के रूप में पदस्थापित किए जाने का पात्र होगा। हालांकि, उक्त पद पर उसकी संपुष्टि उसके काम के संबंध में रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।

5.0 हार्बर मास्टर (नदी) के अधीन हल्दिया नौचालक पाइलटों का प्रशिक्षण कार्यक्रम।

5.1 मास्टर(एफजी)/ड्रेज मास्टर ग्रेड-I और समतुल्य प्रमाणपत्र धारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले प्रशिक्षुओं हेतु:

i) नौ (9) महीने का प्रशिक्षण पूरा होने पर, वह हार्बर मास्टर (नदी) और प्रबंधक, समुद्री प्रचालन, हल्दिया को शामिल कर बनाई गई एक समिति द्वारा संचालित प्रारंभिक मौखिक परीक्षा में बैठेगा। उसके बाद, प्रारम्भिक मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वह भाग-ए, ग्रेड-III नौचालन पाइलट परीक्षा में बैठने का पात्र होगा बशर्ते वह अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान कम से कम 100 कार्य पूर्ण करता है।

ii) ग्रेड III, भाग-ए परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उसे हल्दिया नौचालक पाइलट का लाइसेंस जारी किया जाएगा और नौचालक पाइलटों के नियमित वेतनमान में समायोजित किया जाएगा। हालांकि, उक्त पद पर उसकी संपुष्टि उसके काम के संबंध में रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।

5.2 प्रथम मेट(एफजी) / ड्रेज मास्टर ग्रेड-II प्रमाणपत्र धारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले प्रशिक्षुओं हेतु :

i) बारह (12) महीने का प्रशिक्षण पूरा होने पर, वह हार्बर मास्टर (नदी) और प्रबंधक, समुद्री प्रचालन, हल्दिया को शामिल कर बनाई गई एक समिति द्वारा संचालित प्रारंभिक मौखिक परीक्षा में बैठेगा। उसके बाद, प्रारम्भिक मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वह भाग-ए, ग्रेड-III नौचालन पाइलट परीक्षा में बैठने का पात्र होगा बशर्ते वह अपनी प्रशिक्षण अवधि के दौरान कम से कम 100 कार्य पूर्ण करता है।

ii) ग्रेड-III, भाग-ए परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उसे हल्दिया नौचालक पाइलट का लाइसेंस जारी किया जाएगा और नौचालक पाइलटों के नियमित वेतनमान में समायोजित किया जाएगा। हालांकि, उक्त पद पर उसकी संपुष्टि उसके काम के संबंध में रिपोर्ट पर निर्भर करेगी।



### **5.3 FOR TRAINEES JOINING WITH SECOND MATE (FG) / DREDGE MATE GRADE-I CERTIFICATE:**

- i) He shall appear for Function-I & Function -III of First Mate (FG) Examination conducted by Director General of Shipping on completion of twelve (12) month's training;
- ii) Thereafter, he shall be placed on the same footing as is applicable for trainees joining with First Mate (FG)/Dredge Master Grade-II certificates.

### **5.4 FOR TRAINEES JOINING WITH B. SC. NAUTICAL SCIENCE CERTIFICATE:**

- i) He shall appear for the written/oral examinations of Function-I & Function -III of Second Mate (FG) Examination as may be prescribed and conducted by Director General of Shipping on completion of twelve (12) month's training.
- ii) After passing Function-I & Function -III of Second Mate (FG) Examination conducted by Director General of Shipping, he shall be placed on the same footing as is applicable for trainees joining with Second Mate (FG)/Dredge Mate Grade-I certificates.

### **6.0 TRAINING OF OFFICERS TRANSFERRED FROM RIVER SURVEY SERVICE TO THE PILOT SERVICE.**

- i) Suitable officers of the River survey Service with a minimum of five (5) years service and within the age limit of 40 years may be transferred to the Pilot service.
- ii) The training period of such transferred officers shall be determined by the Director, Marine Department depending upon his qualification and experience.
- iii) River survey Officers, already in possession of the Pilot's license for port owned /hired vessels shall undergo a training of minimum six (6) months in river pilotage before being allowed to appear for Part -A of Grade-III pilot examination subject to satisfactory performance in the preliminary assessment made by the Committee of Harbour Master(River) and Manager Marine Operations, Haldia after attending to at least 50 jobs.

5.3 द्वितीय मेट (एफजी) / ड्रेज मेट ग्रेड-I प्रमाणपत्र धारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले प्रशिक्षुओं हेतु :

- i) बारह (12) महीने का प्रशिक्षण पूरा होने पर वह पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा संचालित प्रथम मेट (एफजी) परीक्षा के फंक्शन-I और फंक्शन-III में बैठेगा।
- ii) उसके बाद, उसे उसी स्तर पर रखा जाएगा जो प्रथम मेट (एफजी) / ड्रेज मास्टर ग्रेड-I प्रमाणपत्रधारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले प्रशिक्षुओं के लिए लागू है।

5.4 समुद्री विज्ञान में विज्ञान स्नातक प्रमाणपत्रधारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले प्रशिक्षुओं के हेतु :

- i) बारह (12) महीने का प्रशिक्षण पूरा होने पर वह पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा संचालित यथाविहित द्वितीय मेट (एफजी) परीक्षा के फंक्शन-I और फंक्शन-III की लिखित/मौखिक परीक्षाओं में बैठेगा।
- ii) पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा संचालित द्वितीय मेट(एफजी) परीक्षा का फंक्शन-1 और फंक्शन-III उत्तीर्ण करने के बाद, उसे उसी स्तर पर रखा जाएगा जो द्वितीय मेट (एफजी) / ड्रेज मेट ग्रेड-I प्रमाणपत्र धारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले प्रशिक्षुओं के लिए लागू है।

6.0 नदी सर्वेक्षण सेवा से नौचालन पाइलट सेवा में स्थानांतरित अधिकारियों का प्रशिक्षण।

- i) नदी सर्वेक्षण सेवा में न्यूनतम पांच (5) वर्ष की सेवा करनेवाले 40 वर्ष की आयु सीमा के भीतर के उपयुक्त अधिकारियों को नौचालन पाइलट सेवा में स्थानांतरित किया जा सकता है।
- ii) ऐसे स्थानांतरित अधिकारियों की प्रशिक्षण अवधि का निर्धारण उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर निदेशक, समुद्री विभाग द्वारा किया जाएगा।
- iii) पत्तन के स्वामित्ववाले/ किराए के पोतों के लिए नौचालन पाइलट लाइसेंस धारित करनेवाले नदी सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा कम से कम 50 कार्य पूर्ण किए जाने के बाद और हार्बर मास्टर (नदी) एवं प्रबंधक, समुद्री प्रचालन, हल्दिया को शामिल कर बनाई गई समिति द्वारा किए गए प्रारंभिक मूल्यांकन में उनका कार्यनिष्पादन तुष्टिपूर्ण पाए जाने के अध्यक्षीन उन्हें ग्रेड-III नौचालन पाइलट परीक्षा के भाग-ए में बैठने की अनुमति दिए जाने के पूर्व नदी पाइलट-कार्य में न्यूनतम छह (6) महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।



- iv) On passing the Pilot Part -A of Grade-III pilot examination, he shall be placed in similar footing as is applicable to the trainees who have passed Part -A of Grade-III pilot examination.

## **7.0 TRAINING OF OFFICERS TRANSFERRED FROM THE BERTHING MASTER'S SERVICE TO THE PILOT SERVICE.**

- i) Suitable officers of the Berthing service with a minimum of five (5) years service as Dock Pilot and within the age limit of 40 years may be transferred to the Pilot service provided he is in possession of either 2<sup>nd</sup> Mate (FG) or Dredge Mate-Grade-I certificate or have passed written/oral examinations on Function-I & Function-III of Second Mate (FG) Examination as may be prescribed and conducted by Director General of Shipping.

- ii) A selected officer of the Berthing service shall be placed on the same footing as Trainee Pilots with the Certificate of competency as Second Mate (FG) for the purpose of further training.

7.1 Officers of River Survey Service and Berthing Service, when transferred to the pilot cadre at Haldia will not be required to undergo Harbour training applicable for Kolkata Pilots.

## **7.2 QUALIFYING TIME FOR HIGHER GRADES:**

### **7.2.1 KOLKATA -RIVER SECTION.**

#### **iii) GRADE-II**

On posting as a regular pilot, the incumbent shall work as grade III Pilot for a period of six (6) months in the Harbour Section and thereafter, alternately in River and Harbour Sections for a period of three (3) years. Thereafter, he would be qualified to appear for Grade II Pilot's examination. On passing this examination, a Grade III Pilot will be qualified and designated as Grade II Pilot.

#### **GRADE-I**

A Grade II Pilot will be required to work alternately in River and Harbour Section and will be eligible to appear for Grade I Pilot's examination after working as a Grade II Pilot in the river for a period of twelve (12) months. On passing this examination and on completion of total twelve (12) years service as pilot he will be qualified and graded as Grade I pilot.

iv) ग्रेड-III नौचालन पाइलट परीक्षा का भाग-ए उत्तीर्ण करने के बाद, उसे उसी स्तर पर रखा जाएगा जो ग्रेड-III नौचालन पाइलट परीक्षा का भाग-ए उत्तीर्ण करनेवाले प्रशिक्षुओं के लिए लागू है।

**7.0 बर्थिंग मास्टर सेवा से नौचालन पाइलट सेवा में स्थानांतरित अधिकारियों का प्रशिक्षण।**

i) डॉक नौचालक पाइलट के रूप में न्यूनतम पांच (5) वर्ष की सेवा करनेवाले 40 वर्ष की आयु सीमा के भीतर के बर्थिंग सेवा के उपयुक्त अधिकारियों को नौचालन पाइलट सेवा में स्थानांतरित किया जा सकता है बशर्ते उनके पास या तो द्वितीय मेट (एफजी) या ड्रेज मेट-ग्रेड-I प्रमाणपत्र हो या उन्होंने पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा संचालित यथाविहित द्वितीय मेट (एफजी) परीक्षा के फंक्शन-I एवं फंक्शन-III की लिखित/ मौखिक परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हों।

ii) बर्थिंग सेवा के किसी चयनित अधिकारी को आगे प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उसी स्तर पर रखा जाएगा जैसा द्वितीय मेट (एफजी) के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र धारित करनेवाले प्रशिक्षु नौचालक पाइलटों को रखा जाता है।

7.1 नदी सर्वेक्षण सेवा और बर्थिंग सेवा के अधिकारियों को जब हल्दिया में नौचालन पाइलट कैंडर में स्थानांतरित किया जाता है, तो उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वे कोलकाता नौचालक पाइलटों के लिए लागू हार्बर प्रशिक्षण प्राप्त करें।

**7.2 उच्चतर ग्रेड के लिए अर्हक समय :**

**7.2.1 कोलकाता - नदी अनुभाग .**

iii) ग्रेड-II

नियमित नौचालक पाइलट के रूप में पदस्थापित किए जाने पर, पदधारी हार्बर अनुभाग में छह (6) महीनों की अवधि के लिए ग्रेड III नौचालक पाइलट के रूप में और उसके बाद, वैकल्पिक रूप से नदी और हार्बर अनुभाग में तीन (3) वर्षों की अवधि के लिए काम करेगा। उसके बाद, वह ग्रेड II नौचालन पाइलट परीक्षा में बैठने के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर, कोई ग्रेड III नौचालक पाइलट, ग्रेड II नौचालक पाइलट के रूप में अर्हता प्राप्त करेगा एवं पदाभिहित किया जाएगा।

iv) ग्रेड-I

किसी ग्रेड II नौचालक पाइलट से वैकल्पिक रूप से नदी और हार्बर अनुभाग में काम करने की अपेक्षा की जाएगी और वह बारह (12) महीने की अवधि तक नदी में ग्रेड II नौचालक पाइलट के रूप में काम करने के बाद ग्रेड I नौचालन पाइलट परीक्षा में बैठने का पात्र होगा। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर और नौचालक पाइलट के रूप में कुल बारह (12) वर्ष की सेवा पूरी करने पर वह ग्रेड I नौचालक पाइलट के रूप में अर्हता प्राप्त करेगा एवं श्रेणीकृत होगा।



### 7.2.2 KOLKATA - HARBOUR SECTION

Adjustment in the Harbour Section shall be determined on the following basis:-

i) **Adjustment to Grade II**

He must be a Grade II pilot in the River Section and have satisfactorily completed 150 jobs in the Harbour Section as a Grade III pilot.

ii) **Adjustment to Grade I**

He must be a Grade I pilot in the River Section and have satisfactorily completed 200 jobs in the Harbour Section as a Grade II pilot.

### 7.2.3 HALDIA PILOT

i) **GRADE II**

On posting as a regular pilot, the incumbent shall work as grade III Haldia Pilot for a period of three (3) years. Thereafter, he would be qualified to appear for Grade II Haldia Pilot's examination. On passing this examination, a Grade III Haldia Pilot will be qualified and designated as Grade II Haldia Pilot.

ii) **GRADE I**

A Grade II Haldia Pilot will be eligible to appear for Grade I Haldia Pilot's examination after working as a Grade II Haldia Pilot for a period of twelve (12) months. On passing this examination and on completion of twelve (12) years service as pilot he will be qualified and graded as Grade I Haldia pilot.

**7.3 Transfer of Haldia Pilot to Kolkata Pilot:** A Haldia pilot after being transferred to Kolkata will be required to undertake fresh training in the Kolkata channel and pass requisite examinations prescribed for Kolkata Pilots. The period of such training shall be determined by the Director, Marine Department depending upon the qualification and experience of the officer.

### 7.2.2 कोलकाता- हार्बर अनुभाग

हार्बर अनुभाग में समायोजन का अवधारण निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा :-

#### i) ग्रेड II में समायोजन

उसे नदी अनुभाग में ग्रेड II नौचालक पाइलट होना चाहिए और उसके द्वारा हार्बर अनुभाग में ग्रेड- III नौचालक पाइलट के रूप में संतोषजनक रूप से 150 कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए।

#### ii) ग्रेड I में समायोजन

उसे नदी अनुभाग में ग्रेड I नौचालक पाइलट होना चाहिए और उसके द्वारा हार्बर अनुभाग में ग्रेड II नौचालक पाइलट के रूप में संतोषजनक रूप से 200 कार्य पूर्ण किया जाना चाहिए।

### 7.2.3 हल्दिया नौचालन पाइलट

#### i) ग्रेड II

नियमित नौचालक पाइलट के रूप में पदस्थापित किए जाने पर, पदधारी ग्रेड III हल्दिया नौचालक पाइलट के रूप में तीन (वर्ष) की अवधि के लिए काम करेगा। उसके बाद, वह ग्रेड II हल्दिया नौचालन पाइलट की परीक्षा में बैठने के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर, कोई ग्रेड III हल्दिया नौचालक पाइलट, ग्रेड II हल्दिया नौचालक पाइलट के रूप में अर्हता प्राप्त करेगा एवं पदाभिहित किया जाएगा।

#### ii) ग्रेड I

कोई ग्रेड II हल्दिया नौचालक पाइलट बारह (12) महीने की अवधि तक ग्रेड II हल्दिया नौचालक पाइलट के रूप में काम करने के बाद ग्रेड I हल्दिया नौचालन पाइलट की परीक्षा में बैठने का पात्र होगा। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर और नौचालन पाइलट के रूप में बारह (12) वर्ष की सेवा पूरी करने पर वह ग्रेड I हल्दिया नौचालक पाइलट के रूप में अर्हता प्राप्त करेगा एवं श्रेणीकृत होगा।

7.3 हल्दिया नौचालन पाइलट का कोलकाता नौचालन पाइलट के पद पर स्थानांतरण : कोलकाता में स्थानांतरित होने के बाद किसी हल्दिया नौचालक पाइलट से कोलकाता चैनल में नया प्रशिक्षण प्राप्त करने और कोलकाता नौचालक पाइलटों के लिए निर्धारित अपेक्षित परीक्षाएं उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी। ऐसे प्रशिक्षण की अवधि का निर्धारण निदेशक, समुद्री विभाग द्वारा अधिकारी की अर्हता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा।



#### 7.4 Working Programme.

- i) The Pilots Grade I, Grade II and Grade III shall be authorised to Pilot ships of tonnage, length and draft as may be specified for the different grades by the Harbour Master (Port) and the Harbour Master (River) from time to time. In exigencies as well as when considered necessary, the Harbour Master (Port) or the Harbour Master (River) will have the authority to direct the pilots to handle ships of grades other than their own.
- ii) The Pilots, in addition to pilotage duties, shall be required to carry out any other duties in their field of work as may be assigned to them by the administration. A Pilot, irrespective of his grade, shall work alternately in the Harbour and River Sections as per schedule. Director, Marine Department may, however, alter the posting of any officer from one Section to the other or may extend or reduce the duration of the posting of any officer in any section at any time in the exigencies of work.

#### 7.4 कार्य योजना

i) नौचालक पाइलट ग्रेड I, ग्रेड II और ग्रेड III, समय-समय पर हार्बर मास्टर (पत्तन) और हार्बर मास्टर (नदी) द्वारा विभिन्न ग्रेड के लिए निर्दिष्ट किए जा सकनेवाले टनभार, लंबाई और ड्राफ्ट पर पोतों को चलाने के लिए प्राधिकृत होंगे। आपात स्थिति में और आवश्यक समझे जाने पर हार्बर मास्टर (पत्तन) या हार्बर मास्टर (नदी) को अपने स्वामित्व से भिन्न ग्रेड के पोतों के संचालन के लिए नौचालक पाइलटों को निदेश देने का प्राधिकार होगा।

ii) नौचालक पाइलटों से यह अपेक्षित होगा कि वे पाइलट-कार्य के अतिरिक्त प्रशासन द्वारा उनके कार्य क्षेत्र के भीतर उन्हें सौंपे जा सकनेवाले कोई अन्य कार्य करें। कोई नौचालक पाइलट, अपने ग्रेड का विचार किए बिना, कार्यक्रम के अनुसार वैकल्पिक रूप से हार्बर एवं नदी अनुभाग में कार्य करेगा। तथापि, निदेशक, समुद्री विभाग किसी अनुभाग में किसी अधिकारी के पदस्थापन में परिवर्तन कर उसका पदस्थापन दूसरे अनुभाग में कर सकता है या कार्य की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसी समय किसी अधिकारी के किसी अनुभाग में पदस्थापन की अवधि बढ़ा या घटा सकता है।



### CHAPTER-III

#### RIVER SURVEY SERVICE

**8.0 ENTRY QUALIFICATIONS :** Qualification required for entry into the River Survey Service shall be any one of the following:

- i) Certificate or Competency as First Mate (FG)/Dredge Master Grade-II; or
- ii) Certificate or Competency as Second Mate (FG)/Dredge Master Grade-I; or
- iii) B. Sc. Nautical Science with minimum 60% marks in aggregate.

**9.0 GRADE / DESIGNATION :**

- i) An entrant to the River Survey Service shall be known as a Probationary Hydrographer.
- ii) The period of training of Probationary Hydrographers shall be determined by the Director, Marine Department on the basis of their entry qualification, aptitude and progress of training.
- iii) There will be two departmental examinations. Each departmental examination on Hydrography and allied subjects shall comprise three sections viz. practical, written and orals which shall be conducted by a board of minimum three examiners headed by the Chief Hydrographer of Kolkata Port.

**10.1 FOR PROBATIONARY HYDROGRAPHERS JOINING WITH FIRST MATE (FG) / DREDGE MASTER GRADE-II CERTIFICATE:**

- i) On completion of twelve (12) month's training, he shall appear for the First Departmental examination on Hydrography and allied subjects.
- ii) On completion of further twelve (12) month's training after passing the First Departmental examination i.e. after a total training of minimum twenty four (24) months he shall appear for the Final Departmental Examination on Hydrography and allied subjects. On passing the said examination he will be designated as Senior Hydrographer.
- iii) The candidate will be eligible to appear for the Pilotage examination for port owned/hired vessels six 6 months after passing the Final Departmental Examination. On passing the pilot examination he will be designated as Master Hydrographer.

### अध्याय-III

#### नदी सर्वेक्षण सेवा

8.0 प्रवेश के लिए अर्हताएँ : नदी सर्वेक्षण सेवा में प्रवेश के लिए अपेक्षित अर्हता निम्नलिखित में से कोई एक होगी :

- i) प्रथम मेट(एफ जी)/ ड्रेज मास्टर ग्रेड-II के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र ; या
- ii) द्वितीय मेट(एफ जी)/ ड्रेज मेट ग्रेड-I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र; या
- iii) न्यूनतम कुल 60% अंक सहित समुद्री विज्ञान में विज्ञान स्नातक ।

#### 9.0 ग्रेड / पदनाम :

- i) नदी सर्वेक्षण सेवा में कोई प्रवेशी परिवीक्षाधीन जलसर्वेक्षक के रूप में जाना जाएगा।
- ii) परिवीक्षाधीन जलसर्वेक्षकों की प्रशिक्षण अवधि का अवधारण निदेशक, समुद्री विभाग द्वारा प्रवेश के समय उनकी योग्यता, कौशल और प्रशिक्षण की प्रगति के आधार पर किया जाएगा ।
- iii) दो विभागीय परीक्षाएँ होंगी । जलविज्ञान और संबंधित विषयों पर प्रत्येक विभागीय परीक्षा के तीन खंड होंगे यथा-व्यावहारिक, लिखित और मौखिक जो कोलकाता पत्तन के मुख्य जलसर्वेक्षक की अध्यक्षता में न्यूनतम तीन परीक्षकों के बोर्ड द्वारा संचालित की जाएगी ।

10.1 प्रथम मेट (एफ जी)/ड्रेज मास्टर ग्रेड-II प्रमाणपत्रधारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले परिवीक्षाधीन जलसर्वेक्षकों हेतु :

- i) बारह (12) महीने का प्रशिक्षण पूरा होने पर, वह जलविज्ञान और संबंधित विषयों पर प्रथम विभागीय परीक्षा में बैठेगा।
- ii) प्रथम विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बारह (12) महीने के अतिरिक्त प्रशिक्षण के पूरा होने पर यानी न्यूनतम चौबीस (24) महीने के कुल प्रशिक्षण के बाद वह जल विज्ञान और संबद्ध विषयों पर अंतिम विभागीय परीक्षा में बैठेगा । उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे वरिष्ठ जल सर्वेक्षक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।
- iii) अंतिम विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के 6 महीने के बाद उम्मीदवार पत्तन के स्वामित्ववाले/ किराए के पोत के लिए पाइलट-कार्य संबंधी परीक्षा में बैठने का पात्र होगा। नौचालन पाइलट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उसे मास्टर जलसर्वेक्षक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।



**10.2 FOR PROBATIONARY HYDROGRAPHERS JOINING WITH SECOND MATE (FG) / DREDGE MATE GRADE-I CERTIFICATE:**

- i) He shall appear for Function-I & Function -III of First Mate (FG) Examination conducted by Director General of Shipping on completion of twelve (12) month's training;
- ii) Thereafter, he shall be placed on the same footing as is applicable for probationary Hydrographers joining with First Mate (FG)/Dredge Master Grade-II certificate.

**10.3 FOR PROBATIONARY HYDROGRAPHERS JOINING WITH B. Sc. NAUTICAL SCIENCE CERTIFICATE:**

- i) He shall appear for written/oral examination of Function-I & Function -III of Second Mate (FG) Examination as may be prescribed and conducted by Director General of Shipping on completion of twelve (12) month's training;
- ii) He shall appear for Function-I & Function -III of First Mate (FG) Examination conducted by Director General of Shipping twelve (12) month's after passing Function-I & Function -III of Second Mate (FG) Examination i.e. on completion of a total 24 month's training;
- iii) Thereafter, he shall be placed on the same footing as is applicable for probationary Hydrographers joining with First Mate (FG)/Dredge Master Grade-II certificates.

10.2 द्वितीय मेट(एफजी)/ड्रेज मेट ग्रेड-I प्रमाणपत्रधारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले परिवीक्षाधीन जलसर्वेक्षकों हेतु :

i) बारह (12) माह का प्रशिक्षण पूरा होने पर वह पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा संचालित प्रथम मेट (एफजी) परीक्षा के फंक्शन-I और फंक्शन-III में बैठेगा ।

ii) उसके बाद, उसे उसी स्तर पर रखा जाएगा जो प्रथम मेट (एफजी)/ड्रेज मास्टर ग्रेड-II प्रमाणपत्र-धारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले परिवीक्षाधीन जलसर्वेक्षकों के लिए लागू है।

10.3 समुद्री विज्ञान में विज्ञान स्नातक प्रमाणपत्रधारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले परिवीक्षाधीन जलसर्वेक्षकों के लिए :

i) बारह (12) माह का प्रशिक्षण पूरा होने पर वह पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा यथाविहित और संचालित द्वितीय मेट (एफजी) परीक्षा के फंक्शन-I और फंक्शन-III की लिखित/मौखिक परीक्षा में बैठेगा ;

ii) द्वितीय मेट (एफजी) परीक्षा का फंक्शन-I और फंक्शन-III उत्तीर्ण करने के बारह (12) महीने के बाद यानी कुल 24 महीने का प्रशिक्षण पूरा होने पर वह पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा संचालित प्रथम मेट (एफजी) परीक्षा के फंक्शन-I और फंक्शन-III में बैठेगा ;

iii) उसके बाद, उसे उसी स्तर पर रखा जाएगा जो प्रथम मेट (एफजी)/ड्रेज मास्टर ग्रेड -II प्रमाणपत्रधारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले परिवीक्षाधीन जलसर्वेक्षकों के लिए लागू है।



**CHAPTER-IV**  
**DREDGER AND DESPATCH SERVICE**

**11.0 ENTRY QUALIFICATIONS:** Qualification required for entry into the Dredger and Despatch Service shall be any one of the following:

- i) Certificate of Competency as Master (FG)/Dredge Master Grade-I or equivalent; or
- ii) Certificate of Competency as First Mate (FG)/Dredge Master Grade-II; or
- iii) Certificate of Competency as Second Mate (FG)/Dredge Mate Grade-I; or
- iv) B. Sc. Nautical Science with minimum 60% marks in aggregate/Dredge Mate Grade-II.

**11.1 FOR TRAINEES JOINING WITH MASTER (FG)/ DREDGE MASTER GRADE-I AND EQUIVALENT CERTIFICATE:**

- (i) An officer in possession of Master (FG)/Dredge Master Grade-I/ equivalent Certificate will join as Probationary Commander, Dredger & Despatch service.
- (ii) He shall undergo a minimum period of one (1) year's training on port vessels out of which, six months must be spent on the despatch work. Thereafter, he shall be eligible to appear for the Pilot examination for port owned/hired vessels.
- (iii) On completion of training for a further period of six (6) months, he shall be eligible to take independent charge of a Dredger & Despatch vessel as Commander;

**11.2 FOR TRAINEES JOINING WITH FIRST MATE (FG)/ DREDGE MASTER GRADE-II CERTIFICATE:**

- i) An officer in possession of First Mate (FG)/Dredge Master Grade-II certificate will join as Probationary Chief Officer, Dredger & Despatch service.
- ii) He shall undergo a minimum period of one (1) year's training on port vessels out of which six months must be spent on the despatch work. Thereafter, he shall be eligible to appear for the Pilot examination for port owned/hired vessels.

## अध्याय-IV

### निकर्षण और प्रेषण सेवा

11.0 प्रवेश के लिए अर्हताएँ : निकर्षण और प्रेषण सेवा में प्रवेश के लिए अपेक्षित अर्हता निम्नलिखित में से कोई एक होगी :

- i) मास्टर(एफ जी)/ ड्रेज मास्टर ग्रेड-I या समतुल्य के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र; या
- ii) प्रथम मेट(एफ जी)/ ड्रेज मास्टर ग्रेड-II के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र; या
- iii) द्वितीय मेट(एफ जी)/ ड्रेज मेट ग्रेड-I के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र; या
- iv) न्यूनतम कुल 60% अंक सहित समुद्री विज्ञान में विज्ञान स्नातक/ ड्रेज मेट ग्रेड-II

11.1 मास्टर (एफजी)/ड्रेज मास्टर ग्रेड-I और समतुल्य प्रमाणपत्रधारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले प्रशिक्षुओं हेतु :

(i) मास्टर (एफजी)/ड्रेज मास्टर ग्रेड-I/ समतुल्य प्रमाणपत्रधारक कोई अधिकारी परिवीक्षाधीन कमांडर, निकर्षण और प्रेषण सेवा के रूप में कार्यभार ग्रहण करेगा ।

(ii) उसे पतन के पोतों पर एक (1) वर्ष की न्यूनतम अवधि के प्रशिक्षण से गुजरना होगा, जिसमें से छह महीने प्रेषण कार्य से संबंधित होना चाहिए। उसके बाद, वह पतन के स्वामित्ववाले / किराए के पोतों के लिए नौचालन पाइलट परीक्षा में बैठने का पात्र होगा ।

(iii) छह (6) महीने की अतिरिक्त अवधि का प्रशिक्षण पूरा होने पर, वह कमांडर के रूप में किसी निकर्षण और प्रेषण पोत का स्वतंत्र प्रभार लेने का पात्र होगा;

11.2 प्रथम मेट (एफजी)/ड्रेज मास्टर ग्रेड-II प्रमाणपत्रधारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले प्रशिक्षुओं के लिए :

i) प्रथम मेट (एफजी) / ड्रेज मास्टर ग्रेड-II प्रमाणपत्रधारक कोई अधिकारी परिवीक्षाधीन मुख्य अधिकारी, निकर्षण और प्रेषण सेवा के रूप में कार्यभार ग्रहण करेगा ।

ii) उसे पतन के पोतों पर एक (1) वर्ष की न्यूनतम अवधि के प्रशिक्षण से गुजरना होगा, जिसमें से छह महीने प्रेषण कार्य से संबंधित होना चाहिए। उसके बाद, वह पतन के स्वामित्ववाले / किराए के पोतों के लिए पाइलट परीक्षा में बैठने का पात्र होगा ।



iii) On completion of training for a further period of six (6) months after passing pilot examination i.e. on completion of a total training of one and a half ( $1\frac{1}{2}$ ) year, he shall be eligible to appear for Dredge Master Grade-I Examination.

iv) On passing the Dredge Master Grade-I Examination, he will be promoted to the post of Commander subject to availability of a suitable vacancy.

v) On completion of a further period of six (6) month's training after passing Dredge Master Grade-I Examination, he shall be eligible to take independent charge of a Dredger & Despatch vessel as Commander.

### **11.3 FOR TRAINEES JOINING WITH SECOND MATE (FG) / DREDGE MATE GRADE-I CERTIFICATE:**

i) An officer in possession of Second Mate (FG)/Dredge Mate- Grade-I certificate will join as Probationary Second Officer, Dredger & Despatch service.

ii) He shall undergo a minimum period of one and a half ( $1\frac{1}{2}$ ) year training on port vessels out of which six months must be spent on the despatch work. Thereafter, he shall be eligible to appear for the Dredge Master-Grade-II examination.

iii) On passing Dredge Master-Grade-II examination, he shall be designated as Probationary Chief Officer and placed on the same footing as is applicable to the probationers joining with the First Mate (FG) /Dredge Master-Grade-II certificate.

### **11.4 FOR TRAINEES JOINING WITH B. Sc. NAUTICAL SCIENCE / DREDGE MATE GRADE -II CERTIFICATE.**

i) An officer with Dredge Mate-Grade-II or B. Sc. Nautical Science Certificate will join as a Trainee, Dredger & Despatch service.

ii) He shall undergo a minimum period of one and a half ( $1\frac{1}{2}$ ) year training on port vessels out of which six months must be spent on the despatch work. Thereafter, he shall be eligible to appear for the Dredge Mate-Grade-I examination.

iii) On passing the Dredge Mate-Grade-I examination, he shall be designated as Probationary Second Officer and placed on the same footing as is applicable to the probationers joining with the 2<sup>nd</sup> Mate (FG)/Dredge Mate Grade-I certificate.

iii) पाइलट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छह (6) महीने की अतिरिक्त अवधि का प्रशिक्षण पूरा होने पर यानी कुल डेढ़ (11/2) वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर वह ड्रेज मास्टर ग्रेड-I परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

iv) ड्रेज मास्टर ग्रेड-I परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उपयुक्त रक्ति की उपलब्धता के अध्यक्षीन वह कमांडर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा।

iv) ड्रेज मास्टर ग्रेड-I परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छह (6) महीने की अतिरिक्त प्रशिक्षण अवधि के पूरा होने पर, वह कमांडर के रूप में किसी निकर्षण और प्रेषण पोत का स्वतंत्र प्रभार लेने का पात्र होगा।

11.3 द्वितीय मेट (एफजी)/ड्रेज मेट ग्रेड-I प्रमाणपत्रधारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले प्रशिक्षुओं के लिए :

i) द्वितीय मेट(एफजी)/ड्रेज मेट ग्रेड-I प्रमाणपत्रधारक कोई अधिकारी परिवीक्षाधीन सेकंड ऑफिसर, निकर्षण और प्रेषण सेवा के रूप में कार्यभार ग्रहण करेगा।

ii) उसे पत्तन के पोतों पर डेढ़ (11/2) वर्ष की न्यूनतम अवधि के प्रशिक्षण से गुजरना होगा, जिसमें से छह महीने प्रेषण कार्य से संबंधित होना चाहिए। उसके बाद, वह ड्रेज मास्टर ग्रेड-II परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

iii) ड्रेज मास्टर, ग्रेड-II परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उसे परिवीक्षाधीन मुख्य अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाएगा और उसी स्तर पर रखा जाएगा जो प्रथम मेट (एफजी) / ड्रेज मास्टर, ग्रेड-II प्रमाणपत्रधारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले परिवीक्षार्थियों के लिए लागू है।

11.4 विज्ञान स्नातक, समुद्री विज्ञान/ ड्रेज मेट ग्रेड-II प्रमाणपत्रधारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले प्रशिक्षुओं के लिए :

i) ड्रेज मेट ग्रेड-II या विज्ञान स्नातक, समुद्री विज्ञान प्रमाणपत्रधारक कोई अधिकारी प्रशिक्षु, निकर्षण और प्रेषण सेवा के रूप में कार्यभार ग्रहण करेगा।

ii) उसे पत्तन के पोतों पर डेढ़ (11/2) वर्ष की न्यूनतम अवधि के प्रशिक्षण से गुजरना होगा, जिसमें से छह महीने प्रेषण कार्य से संबंधित होना चाहिए। उसके बाद, वह ड्रेज मेट, ग्रेड-I परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

iii) ड्रेज मेट, ग्रेड-I परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, उसे परिवीक्षाधीन द्वितीय अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया जाएगा और उसी स्तर पर रखा जाएगा जो द्वितीय मेट (एफजी) / ड्रेज मेट, ग्रेड-I प्रमाणपत्रधारक कार्यभार ग्रहण करनेवाले परिवीक्षार्थियों के लिए लागू है।



**SECTION - D**  
**BERTHING SERVICE**

**12.0 ENTRY QUALIFICATIONS:** Qualification required for entry into the Berthing Service shall be Certificate of Competency as Master (HT) or Master (NCV) or Second Mate (FG) or Dredge Mate Grade-I or B. Sc. Nautical Science with minimum 60% marks in aggregate.

12.1 On joining, an officer will be designated as Apprentice Dock Pilot.

12.2 He shall undergo a training of one year under the supervision of the Dy. Dock Master and appear before him for an oral examination;

12.3. Thereafter, he shall undertake a further training of one year and satisfy the Harbour Master (Port) or the Manager, Marine Operations, Haldia, as relevant on his progress of training. On satisfying the Harbour Master (Port) or the Manager, Marine Operations, Haldia, he shall be eligible to appear for the Dock Pilot examination.

12.4 After passing the Dock pilot examination, he shall be designated as Dock Pilot and adjusted in the regular pay Scale of Dock Pilot.

## अनुभाग - डी

### बर्थिंग सेवा

12.0 प्रवेश हेतु अर्हताएँ : बर्थिंग सेवा में प्रवेश हेतु अपेक्षित अर्हता मास्टर (एचटी) या मास्टर (एनसीवी) या द्वितीय मेट (एफजी) या ड्रेज मेट ग्रेड-1 या न्यूनतम कुल 60% अंक सहित समुद्री विज्ञान में विज्ञान स्नातक के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र होगा ।

12.1 कार्यभार ग्रहण करने पर, किसी अधिकारी को शिक्षु डॉक पाइलट के रूप में पदाभिहित किया जाएगा;

12.2 उसे उप डॉक मास्टर के पर्यवेक्षण के अधीन एक वर्ष के प्रशिक्षण से गुजरना होगा और उसके समक्ष एक मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा;

12.3. उसके बाद, वह और एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और अपने प्रशिक्षण की प्रगति के संबंध में यथासंगत हार्बर मास्टर (पतन) या प्रबंधक, समुद्री प्रचालन, हल्दिया को तुष्ट करेगा। हार्बर मास्टर (पतन) या प्रबंधक, समुद्री प्रचालन, हल्दिया को तुष्ट करने पर, वह डॉक पाइलट परीक्षा में बैठने का पात्र होगा ।

12.4 डॉक पाइलट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, उसे डॉक पाइलट के रूप में पदाभिहित किया जाएगा और डॉक पाइलट के नियमित वेतनमान में समायोजित किया जाएगा।



## CHAPTER-VI

**13.1 REPEAL :** CALCUTTA PILOT SERVICE (other than Haldia Dock Complex)(Training, Grading and Seniority) Regulations, 1990 notified under G.S.R 24(E) dated 22.1.1990 is hereby repealed.

**13.2 INTERPRETATION :** In case of any doubt or difference of opinion about the interpretation and application of any of these regulations, same shall be referred to the Chairman, Kolkata Port Trust whose decision shall be final.

**13.3 RELAXATION OF THE PROVISION OF THE REGULATION:** Notwithstanding anything contained in these regulations, Chairman may, at his discretion, relax any of these regulations mentioned herein in exigencies of work or situation, the reasons for which shall be recorded by him in writing.

\*\*\*\*\*

## अध्याय -VI

13.1 निरसन : जीएसआर 24 (ई) दिनांक 22.1.1990 के अधीन अधिसूचित कलकत्ता नौचालन पाइलट सेवा (हल्दिया डॉक परिसर से भिन्न) (प्रशिक्षण, ग्रेड निर्धारण और वरिष्ठता) विनियम, 1990 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

13.2 निर्वचन : इन विनियमों में से किसी के निर्वचन और लागू किए जाने के संबंध में किसी प्रकार के संदेह या मतभेद के मामले में उसे अध्यक्ष, कोलकाता पत्तन न्यास को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

13.3 विनियम के उपबंध का शिथिलीकरण : इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष कार्य या परिस्थिति की अत्यावश्यकता की स्थिति में इसमें उल्लिखित किन्हीं विनियम को शिथिल कर सकता है जिसके कारण उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे ।

\*\*\*\*\*